# सोलर प्लांट के सुरक्षा गार्ड्स पर मुकदमा दर्ज

- करणीसर भटियान में सोलर प्लांट में खेजड़ी के पेड़ काटने पर नायब तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर सहित मौके पर पहुंची टीम को सुरक्षा गार्ड्स ने गेट पर ही रोक दिया था

**बीकानेर,** (कासं)। पूगल तहसील के करणीसर भटियान में सोलर प्लांट में खेजड़ी के पेड़ काटने पर नायब तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर सहित मौके पर पहुंची टीम को गेट पर ही रोकने पर सोलर प्लांट के सुरक्षा गार्ड्स के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

करणीसर भटियान में एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का सोलर प्लांट लगा हुआ है। वहां पर दो दिन में खेजड़ी के 193 पेड़ काट दिए गए। सूचना मिलने पर पूगल के नायब तहसीलदार सुभाष मीणा, पटवारी हंसराज और गिरदावर सहित टीम मौके पर पहुंची लेकिन उन्हें सुरक्षा गार्ड्स ने बाहर ही रोक दिया था। तहसील का दल काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। बाद में प्लांट के अधिकारियों से बात करने के बाद अंदर जा सका। इसे लेकर पटवारी हंसराज की रिपोर्ट पर पूगल थाने में प्लांट के सुरक्षा गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

बीकानेर जिले में सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तहसील के अधिकारियों ने प्लांट के सुरक्षा गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पिछले 5-6 सालों में ऐसे मामले कई बार हो चुके हैं, लेकिन तहसील प्रशासन ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी प्रकार भवानीपुर में एकमे सोलर कंपनी की लीज धारी जमीन पर खेजड़ी के 497 पेड़ काटे गए थे।

कंपनी को लीज पर जमीन देने वाले किसानों ने पूगल एसएचओ को परिवाद देकर खेजड़ी काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि जमीन लीज पर देते समय यह शर्त रखी गई थी कि खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे जायेंगे। लेकिन कंपनी ने इसका पालन नहीं किया। जिले में सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध रूप से कटाई करवाने के मामले में जिला कलेक्टर के खिलाफ एसीबी से जांच की मांग जीव रक्षा संस्था ने की है। संस्था के अध्यक्ष मोखराम बिश्नोई ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बिश्नोई ने लिखा है कि सभी पेड़ों को चिन्हित कर उनकी गिनती करवाई जाए और पेड़ों को काटने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। पेड़ों को काटने पर उनके साथ बड़ी संख्या में जीव जंतु भी मार रहे हैं। मामूली जुर्माना लगाकर सोलर कंपनियों को छोड़ा जा रहा है।

राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ काटने का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को संभागीय आयुक्त से मिले पर्यावरण प्रेमियों के शिष्टमंडल ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। वन्य जीव प्रेमी रक्षपाल बिश्नोई कालासर, भानीपुरा और करणीसर भटियान में पिछले कुछ दिनों में करीब 1300 खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर आहत है। उन्होंने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर कहा है कि पिछले 3 साल से जिले में खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।

## टोल प्लाजा पर वाहन चालकों की आंखों की जांच

**नोखा,** (कासं)। सड़क सुरक्षा माह (जनवरी) के तहत नोखा पुलिस द्वारा पारवा टोल प्लाजा पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।

यह शिविर उरमूल ज्योति नेत्र संस्थान नोखा के सहयोग से लगाया गया जिसमें टोल नाके से गुजर रहे बड़ी संख्या में वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। इस पहल का उद्देश्य सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चालकों की दृष्टि क्षमता को बेहतर बनाना रहा। शिविर के दौरान पुलिस टीम ने पारवा टोल प्लाजा से गुजर रहे भारी और छोटे वाहनों के चालकों को रोककर उन्हें जांच शिविर तक बुलाया। नेत्र परीक्षण के बाद जरूरतमंद चालकों को निशुल्क दवाईयां और चश्में उपलब्ध कराये गए। जिन चालकों में आंखों की गंभीर समस्या पाई गई उन्हें चिकित्सकों ने आगे के उपचार के लिए परामर्श दिया। इस अवसर पर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने वाहन चालकों और आसपास के ग्रामीणों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित ट्रैफिक के लिए अच्छी दृष्टि बेहद जरूरी है, खासकर उन चालकों के लिए जो लम्बे समय तक वाहन चलाते हैं। भारद्वाज ने सभी से हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा के पालन और सतर्क ड्राइविंग की अपील की।

# सभी पी.एच.सी. पर प्रसव सेवाएं मिले : सीएमएचओ

- बज्जू ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य समीक्षा बैठक आयोजित

**बीकानेर,** (कासं)। सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव सेवाएं मिलनी ही चाहिए। इसके लिए आवश्यक संसाधन की कोई कमी नहीं है। यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो जिला स्तर से करवा दिया जायेगा। ये निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने दिए हैं।

वे शनिवार को बज्जू ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बज्जू खंड की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसीएमओ कोलायत डॉ. सुनील कुमार जैन, बीसीएमओ बज्जू डॉ. शिवराज जाखड़, डॉ. सुनील, डॉ. महेंद्र, डॉ. योगेंद्र, बीपीओ हेतराम बेनीवाल सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं एएनएम उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, गैर संचारी रोग कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा एचपीवी वैक्सीनेशन की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। अधिकारियों ने फील्ड स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, नियमित एएनसी जांच, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान तथा समय पर रेफरल व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग, बीपी एवं शुगर जांच, नियमित फॉलो-अप तथा ब्रेस्ट, ओरल एवं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सक्रिय केस फाइंडिंग, दवा उपचार की निरंतरता, नोटिफिकेशन एवं टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र किशोरियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण, सही काउंसलिंग एवं सटीक रिकॉर्ड संधारण के निर्देश दिए गए।

## सार-समाचार

### खेजड़ी कटाई व गोचर भूमि पर चर्चा

**नोखा,** (कासं)। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से देर रात एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान बीकानेर में गोचर भूमि को बीकानेर विकास प्राधिकरण में शामिल करने और उसकी किस्म बदलने के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेशभर में खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर कानून बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने गोचर भूमि के मुद्दे पर गो प्रेमियों, संत समाज और सर्व समाज को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि का किसी भी कीमत पर दूसरा उपयोग नहीं होगा और न ही उसकी किस्म बदली जायेगी। खेजड़ी कटाई के संबंध में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण प्रेमियों और संत समाज को भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि सरकार इस पर भारी जुर्माने सहित कठोर प्रावधानों वाला कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अन्य राज्यों के ऐसे कानूनी प्रावधानों का विधि विभाग में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेकर सदन में विधेयक पेश करेगी। प्रतिनिधिमंडल में विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, अंशुमान सिंह भाटी, ताराचंद सारस्वत, पब्बाराम बिश्नोई शामिल थे। इनके अलावा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई और भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात से पूर्व, प्रतिनिधिमंडल ने बीकानेर पूर्व व पश्चिम विधायक सिद्धि कुमारी व जेठानंद व्यास और शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ से भी इन विषयों पर चर्चा की थी। इस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और शिखर अग्रवाल भी उपस्थित थे।

### पेयजल लाइन का लोकार्पण

**कालू,** (कासं)। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कालू क्षेत्र के सहजरासर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ 4 लाख रूपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में गांव में नवनिर्मित पानी की टंकी और धीरेरा स्टेशन से सहजरासर तक बिछाई गई पानी की पाइपलाइन प्रमुख है। मंत्री ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दौरे के दौरान, मंत्री गोदारा ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना।

# डूडी की समाधि पर सुशीला डूडी भावुक हुई

**बीकानेर,** (कासं)। कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची नोखा विधायक और डूडी की पत्नी सुशीला डूडी भावुक हो गई। अपने पति की समाधि स्थल पर दर्शन करने के दौरान वे फूट-फूटकर रोने लगी।

दरअसल बीकानेर से नोखा जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ता के यहां रूके थे। विधायक सुशीला डूडी भी साथ थीं। रास्ते मे सभी लोग डूडी की समाधि स्थल पर रूके जहां वे भावुक हो गई। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला। जानकारी के अनुसार नोखा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग और नोखा विधायक सुशीला डूडी ने रास्ते में समाधि स्थल पर अपने वाहन रोक लिए। जिस जगह डूडी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसके चारों और अब समाधि बनाने का काम चल रहा है। चारदीवारी की जा चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं ने यहां पुष्प अर्पित करना शुरू किया।

इसी दौरान नोखा विधायक ने भी फूलों की माला दीवार पर रखी। माला दीवार पर रखी जाती, इससे पहले ही वे रोने लगी। कुछ ही देर में वो फूट-फूटकर रोने लगी। साथ में चल रही दो महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला लेकिन काफी देर तक विधायक अपने पति की याद में रोती ही रही। ये पहला मौका है जब वो सार्वजनिक तौर पर वो अपने पति की याद में इतनी भावुक हुई।

बीकानेर-नोखा मार्ग पर गंगाशहर से महज दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर ही ये भव्य समाधि स्थल तैयार हो रहा है। डूडी के अंतिम संस्कार स्थल पर अब समाधि बनाया जाना प्रस्तावित है। इसी समाधि स्थल पर डूडी की मूर्ति लगाई जाएगी।

## 32 किलो डोडा पोस्त सहित पकड़ा

**नोखा,** (कासं)। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 32 किलो 477 ग्राम डोडा पोस्त (छिलका और चूरा) के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान राकेश भादू निवासी नोखा के रूप में हुई। थानाधिकारी नोखा अरविन्द कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ढाणी रोही कंवलीसर क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान आरोपी को मौके से धर दबोचा और भारी मात्रा में मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया गया। राकेश भादू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। ताकि मादक पदार्थ के स्रोत और आगे की सप्लाई चैन का पता लगाया जा सके।

# कोलायत में मतदाता के अधिकारों को लेकर धरना 19 को

- श्रीकोलायत क्षेत्र में 4000 से अधिक जायज मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयासों को लेकर क्षेत्र में रोष
- बल्क में जमा कराये फॉर्म-7 के कथित दुरूपयोग से मतदाताओं में भय एवं असुरक्षा का माहौल
- भाटी ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक मतदाताओं के वोट कायम रखने की मांग की

**बीकानेर,** (कासं)। श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में 4000 से अधिक जायज मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयासों को लेकर क्षेत्र में रोष व्याप्त है। इस संबंध में पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए बताया कि फॉर्म-7 के कथित दुरूपयोग से मतदाताओं में भय एवं असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

भाटी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और किसी भी प्रकार से जायज वोटरों के नाम काटने का प्रयास अस्वीकार्य है। उपखंड निर्वाचन अधिकारी श्रीकोलायत को बल्क में ऑफलाइन फॉर्म 15 जनवरी को एक साथ एक ही व्यक्ति द्वारा जमा करवाए गए जो संदेह के दायरे में आता है। इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने तथा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर 19 जनवरी को प्रातः 11 बजे उपखंड कार्यालय श्रीकोलायत के सामने धरना एवं विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।

भाटी ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक मतदाताओं के वोट कायम रखने, अंतिम दिवस 15 जनवरी 2026 को एक ही व्यक्ति द्वारा बल्क में जमा करवाए गए फार्म 7 को निरस्त करने तथा फर्जी तरीके से झूठे एवं जाली हस्ताक्षरों के साथ बल्क में फार्म 7 जमा करवाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व ऊर्जा मंत्री भाटी के आव्हान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्रीकोलायत एवं बज्जू के नेतृत्व में आयोजित किया जायेगा।

## दो कन्याओं की शादी में सामान भेंट

**नोखा,** (कासं)। माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से दो जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सहायता दी। उन्हें गृहस्थी का आवश्यक सामान भेंट किया। इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिला।

महिला मंडल द्वारा दी गई सामग्री में पांच साडियां, तीन बैडशीट, एक शॉल, एक जैकेट, दो दीवार घडियां, एक घड़ी सेट, चार आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट, एक अंगूठी, दो हाथ की पूंची, एक सोने का नाक का कांटा, दो बाजोट, चार हैण्ड बैग, एक ट्रॉली बैग, स्टील के बर्तन, एक पानी का कैंपर, एक जोड़ी चप्पल और सुहाग सामग्री के चार डबल सैट शामिल रहे। यह सामग्री नवविवाहित कन्याओं के नए जीवन की शुरूआत में सहायक बनेगी। इसके अलावा एक जोड़ी कड़ा सेट और लड्डू गोपाल की पोशाक भी भेंट की गई। महिला मंडल की इस पहल को समाज में सकारात्मक और संवेदनशील सोच के रूप में देखा जा रहा है।


प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ़
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/HANUMANGARH/TRUST/2025/92
चूंकि प्रार्थी श्री TARUN KUMAR, SSB ROAD GALI NO 07, 3E CHOTI, GANGANAGAR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास दी कले एज्यूकेशन ट्रस्ट, श्रीगंगानगर HOUSE NO 28, CHAK 3 E CHOTI SSB ROAD GALI NO. 07 SHRI GANGANAGAR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 16.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, हनुमानगढ़